(2) Teder Notice

प्रेषक,.

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हाथरस

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर–प्रदेश,
लखनऊ।

पत्रांकः– 4112 /सिंखहा/निविदा/ दिनांकः 06ः 10 ः 2018

विषयः– अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 02/अ0अ0/2018–19 के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

अति अल्प कालीन निविदा सूचना संख्या 02/अ0अ0/2018–19 आपको छः प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निविदा सूचना का प्रकाशन हिन्दी व अंग्रेजी के राष्ट्रीय दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में एक–2 बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा उत्तर प्रदेश सरकार की बेबसाईट (http:/upgovt.up.nic.in/infotech) पर भी देने की कृपा करें।

संलग्नकः– 1. निविदा सूचना की छः प्रतियॉं
2. सी0डी0एक नग

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हाथरस

पत्रांकः– 4112/सिंखहा/निविदा/दिनांकः 06ः10ः2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. कम्प्यूटर सैल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,सिं0वि0,उ0प्र0,लखनऊ(संलग्न–सी0डी0 एक नग)।
2. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता(गंगा),सिं0वि0,उ0प्र0,मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,मथुरा।
4. जिलाधिकारी,हाथरस।
5. पुलिस अधीक्षक,जनपद–हाथरस
6. जिला सूचना अधिकारी,हाथरस
7. अधिशासी अभियन्ता,निचली मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर मथुरा,संलग्न टेण्डर बुक।
8. अधिशासी अभियन्ता ऊपरी मॉट शाखा,खण्ड गंगा नहर,खुर्जा,संलग्न टेण्डर बुक।
9. सहायक अभियन्ता प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय सिंचाई खण्ड,हाथरस।
10. थानाध्यक्ष,थाना हाथरस गेट,हाथरस
11. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

संलग्नकः– यथोपरि

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हाथरस

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड हाथरस
अतिअल्पकालीन निविदा सूचना संख्याः 02/अ0अ0/सिंखहा/2018–19

महामहिम राज्यपाल महोदय,उ0प्र0 की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु मुहर बन्द निविदायें सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 20.10.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो 20.10.2018 को दिन अपरान्ह 3:30 बजे अधिशासी अभियन्ता/अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हाथरस/प्राधिकृत अधिकारी/टेन्डर समिति के द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेंगी। प्रपत्र/निविदा दिनांक 15.10.2018 से 17.10.2018 तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से सॉय 4:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हाथरस,कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ऊपरी मॉट शाखा,खण्ड गंगा नहर,खुर्जा, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निचली मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर मथुरा निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त की जा सकेगी।

पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (I.D.T.-1), हैसियत प्रमाण–पत्र (I.D.T.-2),स्व घोषणा शपथ–पत्र,निर्धारित प्रारूप पर (I.D.T.-3),समान प्रकृति एवं समान लागत के कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र (वित्तीय वर्ष 2015–16,2016–2017,2017–2018 का मान्य) इत्यादि की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत की जायेंगी तथा उनकी सत्यापित छाया प्रतियॉ भी ठेकेदार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेंगी। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हुआ हो, भी जमा करने के पश्चात निर्धारित मूल्य देकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यो का विवरण

क0सं0/ लॉट संख्या	कार्य का विवरण (सीसीएल कार्य)	कार्य की अनु– मानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+18 प्रतिशत जी एस टी टेक्स +स्टेशनरी चार्ज	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत श्रेणी
1	सिकन्दरपुर राज0के किमी 0.00 से 11. 840 तक सिल्ट सफाई /वैड एवं वर्म स्केपिंग एवं झूण्ड मूंज की सफाई का कार्य	4.50	9000	300+जीएसटी+500 रू–944.00	15 दिन	सी एवं उच्चतर

निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तेः–

सभी शर्त एवं सूचना,उ0प्र0सरकार की वेबसाइट (**http://upgovt.up.nic/ infotech**) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (**http//:www.idup.upgovt.in**) पर भी उपलब्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हाथरस

1. धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हों अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड,हाथरस के पक्ष में बन्धक होगी जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड,हाथरस /प्राधिकृत अधिकारी/ टेन्डर समिति का होगा।
2. प्रत्येक निविदादाता को रूपये 100.00 के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय व्यापार कर,आयकर,स्टाम्प डयूटी,रायल्टी एवं श्रम उपकर देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प डयूटी तथा जमानत की शेष 8 प्रतिशत सिक्योरिटी जमा करनी होगी एवं श्रम विभाग का पंजीकरण साथ संलग्न करना होगा।
3. यह निविदा सूचना वेबसाइट(http:upgov.up.nic.in/infotec) तथा सिंचाई विभाग वेबसाइट www.idup.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के वेबसाइट www.idup.gov.in से भी डाउन लोड की जा सकती है,किन्तु इसकी लागत संबंधित अधिशासी अभियन्ता के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ (I.D.T.-1),(I.D.T.-2), (I.D.T.-3) व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्रांइंग उपलबध न हो सकने की स्थिति में वे संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालय से ड्रांइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में बिक्री के लिये उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो कार्यालय से उपलब्ध निवदिा प्रपत्र ही मान्य होगा।
4. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा।
5. राज्य बार कोंन्सिल में पंजीकृत कोई अधिवक्ता भी निविदा प्रकिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं सन्तुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
6. एक निविदादाता निविदा में से एक कार्य की केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा व सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
7. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से कय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र मूल्य व डाक व्यय भेज कर प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील्ड निविदा को इसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाधिकारी/ कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक से) प्राप्त करायी जायेंगी। जो प्राप्त निविदाओं का तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत

करेंगे, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके संबंधित उपखण्डीय/खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगे, ताकि उन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बॉक्स में डाला जा सके।

8. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें,निविदायें प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक ही प्राप्त की जायेंगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
9. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाब/अनावश्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
10. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
11. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व उक्त में वर्णित कार्यालयों के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
12. चरित्र प्रमाण–पत्र,हैसियत प्रमाण–पत्र व घोषणा प्रमाण–पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेंगे तथा संबंधित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
13. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदा दाता ने (I.D.T.-1),(I.D.T.-2), (I.D.T.-3) तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि(लागत धनराशि का 2 प्रतिशत) ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेंगी।
14. निविदा कय करते समय ठेकेदार अथवा फर्म की अधिकृत प्रतिनिधि को स्वयं (I.D.T.-1),(I.D.T.-2), (I.D.T.-3) मूल रूप में दिखाने होंगे। मूल प्रमाण पत्र न दिखाने पर निविदा विक्रय नहीं की जायेगी।
15. जॉइन्टवेन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
16. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या–622/23.12.2012–2 आडिट/08 टी0सी0–2,दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक ब्लो दरें (Below Rate) प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो दरों (Below Rate) पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत दर पर परफोर्मेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
18. अनुबन्ध गठन की कार्यवाही धन उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।
19. कार्यो को निर्धारित अवधि में समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। कार्यो की प्रगति मानक से कम होने पर केवल एक नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त करने तथा कार्य को किसी अन्य कार्य संस्था से पूर्ण कराने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।
20. समान प्रकृति एवं समान लागत के कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2015–16,2016–2017,2017–2018 का मान्य होगा ।
21. प्रथम न्यून्तम दाता द्वारा यदि अनुबंध गठन की कार्यवाही नहीं कराई जाती है तो उसका नाम/रजिस्ट्रेशन काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी ।

<u>ADDITIONAL CONDITIONS TO BE MADE PART OE THE GENERAL CONDITION OF CONTRACT</u>

1- if any person whosoever is found actively associated with Mafia and unsocial elements or in organized crime or is a Mafia or mafias is disqualified from bidding.

2- Even if it comes to knowledge after award of a contract that the contractor is associated with Mafia and Unsocial elements of engaged in organized or is a Mafia or mafias the contract will be cancelled after serving a show cause notice and if the contractor is found repeating the same, then the proceeded of blacklisting him shall also be initiated.

3- If it is found that, the contractor or the bidder has threatened other bidder or revenged them from bidding, the tender/contract will be cancelled.

4- Any advocate registered in state beer council will not be authorized for bidding. It is comes in knowledge that contractor is a state bar council registered advocate, the contract will be cancelled after having been satisfied of this fact.

5- All Tax are Indluded.

<u>नोटः–</u>

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र को भली भांति पढकर निविदा देने से पूर्व प्रपत्रों में अंकित निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर करें । निविदा प्रपत्र कय करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकरण की प्रमाणित छायाप्रति के साथ मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. आवश्यकतानुसार लॉट की संख्या व कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है,जिसके लिए ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को होगा ।
3. निविदादाता का श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के निविदा मान्य नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हाथरस